

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्र.-सी-5-1/2016/1/3

भोपाल, दिनांक 31.08.2016

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय।

विषय:- कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संबंध में।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के स्थानान्तरण विभाग द्वारा निर्धारित नीति अनुसार किए जाए। अतः समस्त विभाग उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(सी.बी. पड़वार)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग